



राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय
Office of the State Disability Commissioner
(समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग)

झारखण्ड सरकार

भूतल, अभियन्त्रण छात्रावास भवन, सेक्टर-III, धुर्वा, राँची

फोन- 0651-2401825, फैक्स- 0651-2401886

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संबद्ध सभी विद्यालयों के लिए सूचना

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में विकलांगों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं की अभिरक्षा हेतु मुख्य आयुक्त, (निःशक्तजन) कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक- 01-01/CCD/2010, दिनांक- 22.01.2010, ज्ञापांक- 262 के निर्देश के आलोक में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संबद्ध सभी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक- CM/CBSE/ACAD/HEALTH/2009, दिनांक- 24.12.2009, परिपत्र सं0-65 के निदेशानुसार किसी भी बच्चे को विकलांगता के कारण नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के ज्ञापांक- 45, दिनांक- 29.10.08 के आलोक में पूर्व में भी निदेश जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों के नामांकन से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे बच्चों के नामांकन से इन्कार करने की स्थिति में विद्यालय की संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जा सकता है। यह निर्णय विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा के तहत लिया गया है।

विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा हेतु विद्यालयों को निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं-

1. मुख्यधारा की शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
2. विकलांग बच्चों के नामांकन का अनुश्रवण किया जाय।
3. विद्यालयों में सहायक उपकरणों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान करना।
4. वर्तमान भौतिक संसाधनों एवं शिक्षण पद्धति को परिवर्तित करना ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ अन्य बच्चों को लाभ मिल सके।
5. सरकारी अथवा सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाना।
6. 2020ई0 तक सभी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/ छात्रावासों/ प्रयोगशालाओं/ पुस्तकालयों/ भवनों को विकलांग बच्चों के लिए बाधारहित बनाना।
7. विकलांग बच्चों के लिए पठन सामग्री जैसे- बोलने वाली पाठ्य पुस्तक, अध्ययन सामग्री एवं वाणी सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
8. आवश्यकतानुसार सांकेतिक भाषा, दुभाषिया, प्रतिलेखन सेवा एवं बधिर विकलांग बच्चों के लिए लूप इनडक्शन सिस्टम का समावेश सुनिश्चित करना।
9. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा हेतु कक्षाओं में व्यवस्थाओं का पुनर्निरीक्षण करना।
10. सेवा अवधि के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों को समावेशी शिक्षा हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर में नियमित रूप से प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।

(सतीश चन्द्र)

राज्य निःशक्ता आयुक्त।